कार्यालय प्रतिलिपि 1617026 दि० 01-08-2016
पत्र संख्या-ज्वा0कमि0स0द0 / 2016-2017/ 696 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचल दल- अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 01/8 ~~जुलाई~~ 2016

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2
(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,
जोन, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्रभारी (स0द0) इकाई को ऑन लाइन पंजी-5 अपडेट करने, संग्रहीत बिल्स को ऑनलाइन अपडेट करने, ऑन लाइन डिटेंशन मेमो जारी करने का कार्य सिस्टम पर सम्पन्न करना होता है। इतना ही नही उन्हें टी0डी0एफ0 सुविधा हेतु वाहनों के पंजीकरण के सत्यापन के साथ-साथ टिन एक्सिस साइट पर डीलर से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने और इन्फार्मेशन शेयरिंग सिस्टम पर प्रदेश के व्यापारियों के सम्व्यवहारों एवं आई0टी0सी0 सम्बन्धी सूचनाओं का आादन-प्रदान पुश बटन माध्यम से प्राप्त करके नियमानुसार कार्यवाही भी सम्पन्न करना होता है। करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अन्य राज्यों से डाटा शेयरिंग के माध्यम से ऑन लाइन सूचनाये प्राप्त करने एवं सीमावर्ती राज्यों के समीपवर्ती चेकपोस्ट से टी0डी0एफ0 सम्बन्धी सूचनायें प्राप्त करना भी उनके कार्य एवं दायित्वों में सम्मिलित है। उक्त उद्देश्य के लिए उन्हें विभाग द्वारा टैब्लेट्स भी उपलब्ध कराए गये हैं, जिनका उपयोग करके उनके द्वारा O.C.S. App पर रियल टाइम में अपनी Presence marking और वाहन का डिटेंशन मेमो प्राप्त करना भी प्राविधानित है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि असिस्टेंट कमिश्नर, प्रभारी (स0द0) इकाई को कम्प्यूटर का अच्छा जानकार होना आवश्यक है। उसे विभिन्न स्त्रोतों से डाटा प्राप्त करने, उसे विश्लेषित करने और उनका उपयोग राजस्व में वृद्धि के लिए करने में सिद्धहस्त होना चाहिए तथा निकटवर्ती राज्यों से डाटा शेयरिंग और समन्वय करने के कार्य में भी दक्ष होना आवश्यक है। उसकी लोकेशन जी0पी0एस0 इन्बिल्ट होने के कारण किसी भी समय ज्ञात की जा सकती है। इस प्रकार जो अधिकारी सिस्टम के माध्यम से प्रवर्तन कार्य में योगदान नहीं करेंगें, उनका प्रवर्तन कार्य अधूरा रहेगा और उनकी प्रवर्तन अधिकारी के रुप में उपयोगिता न्यून हो जाएगी।

अत: कृपया अपने अधीनस्थ समस्त असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्रभारी (स0द0) इकाईयों को तदनुसार प्रवर्तन कार्यों में सिस्टम का अधिकतम उपयोग करने हेतु निर्देशित करें। उन्हें यह भी संसूचित कर दिया जाए कि जो अधिकारी प्रवर्तन कार्यों में सिस्टम का उपयोग संतोषजनक रुप से नहीं करेंगे उन्हें प्रवर्तन कार्यों से विरत करने/सचल दल इकाईयों से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी। कृपया अपने स्तर से भी सचल दल इकाईयों में प्रथम बार तैनात अधिकारियों को 03 days Refresher Course कराया जावे, जिसमें Complete hands on session के जरिये उनकी कार्य प्रणाली व दक्षता जांच ली जाये तथा असिस्टेंट कमिश्नर्स के द्वारा प्रवर्तन कार्यों में सिस्टम के उपयोग की समीक्षा करते हुए जो अधिकारी समुचित रुप से सिस्टम का उपयोग न करते हों उनके बारे में अपनी आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

29/07/16
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि - समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपर्युक्त पत्र के अंतिम प्रस्तर में अंकित निर्देशों के क्रम में अपने स्तर से जोन में प्रवर्तन (सचल दल/ वि0अनु0शा0) में कार्यरत अधिकारियों के बारे में समीक्षा करते हुए प्रवर्तन कार्यों में सिस्टम का प्रयोग संतोषजनक रुप से न करने वाले अधिकारियों के बारे में आख्या 15 दिवस में उपलब्ध करायें।

1/08/16
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।